न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर

17

पीठासीन अधिकारी :– प्रकाश राजपुरोहित, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या:– 34/2018

अपीलार्थी	बनाम	**प्रत्यर्थीगण**
1– श्रीमती सरोज पत्नी टिकमचंद जाति माली निवासी मालियों का राजबाग, सूरसागर जोधपुर		1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध तहसीलदार जोधपुर के आदेश दिनांक 17.05.2018 जो प्रकरण संख्या 1/2017 में पारित किया गया।

उपस्थिति :–

आदेश दिनांक 12.02.2019

1– श्री हरिसिंह कच्छवाह अधिवक्ता (अपीलार्थीपक्ष)
2– प्रत्यर्थीपक्ष इत्त्ला बावजूद अनुपस्थित।

:– आदेश –:

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वाके ग्राम बागां तहसील जोधपुर के खसरा नम्बर 449 बनाप 15020 वर्गफीट भूमि आखली के रूप में अपीलार्थी के पति टिकमचंद पुत्र जेठाराम के नाम से आवंटित की हुई तथा वर्ष 2018 तक नियमित रूप से किराया जमा है। अपीलार्थी के पति टिकमचन्द का देहान्त होने के पश्चात् अपीलार्थी विधिक प्रतिनिधि होने से आखली पर काबिज है। तहसीलदार जोधपुर द्वारा पूनमचन्द कच्छवाह के प्रार्थना–पत्र पर अपीलार्थीपक्ष को सुनवाई का अवसर/नोटिस दिये बिना अपीलाधीन आदेश जारी करते हुए उक्त आखली आवंटन को निरस्त कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील मीमो मय धारा 5, भा. मियाद अधिनियम एवं धारा 96 सी.पी.सी. पेश हुआ ।

अपील मियाद बिन्दु शर्त के साथ दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा मूल अभिलेख भी तलब किया गया। प्रत्यर्थीपक्ष का नोटिस पेशी 25.09.18 का बाद तामील लौटा। अपीलीधीन आदेश संबंधित मूल रिकार्ड प्राप्त होने पर दिनांक 07.01.19 को अधिवक्ता अपीलार्थी की इकतरफा बहस सुनी गई। आदेश लिखने से पूर्व तहसीलदार जोधपुर से जबाब एवं आखली आबंटन/किराये पर दिये जाने वाली संबंधित मूल पत्रावली भी मंगवाई गई।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बतलाया कि ग्राम बागां

लगातार...

तहसील जोधपुर के खसरा नम्बर 449 बनाप 15020 वर्गफीट भूमि आखली के रूप में अपीलार्थी के पति टिकमचंद पुत्र जेठाराम के नाम से आवंटित की हुई तथा वर्ष 2018 तक नियमित रूप से किराया जमा है। अपीलार्थी के पति टिकमचन्द का देहान्त होने के पश्चात् अपीलार्थी विधिक प्रतिनिधि होने से आखली पर काबिज है। तहसीलदार जोधपुर द्वारा पूनमचन्द कच्छवाह के प्रार्थना–पत्र पर अपीलार्थीपक्ष को सुनवाई का अवसर/नोटिस दिये बिना आखली आंवटन आदेश निरस्त कर दिया गया। आखली पर अभी भी अपीलार्थीया काबिज है। बहस में आगे बतलाया कि तहसीलदार जोधपुर को किसी भी कानून में आवंटन को निरस्त करने का अधिकार नहीं है। अपीलाधीन आदेश जारी करने से पूर्व तहसीलदार जोधपुर द्वारा किसी प्रकार का अपीलार्थीया को नोटिस नहीं दिया। अपीलार्थी द्वारा कभी भी गोविन्दलाल अथवा अन्य किसी व्यक्ति को कब्जा सुपुर्द नहीं किया गया तथा पूनमचन्द तथा गोविन्दलाल ने मिलीभगत करके तथा स्वयं के द्वारा ही शिकायत प्रस्तुत करके तहसीलदार से मिलीभगती करके अपीलाधीन आदेश पारित करवाया गया। अपीलार्थीया के नाम से भेजे गये नोटिस को भी शिकायतकर्ता ने ही प्राप्त किया तथा अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने के समय अपीलार्थी पक्षकार नहीं होने के कारण यह अपील पेश किये जाने के लिए अनुमति प्रार्थना पत्र भी अलग से प्रस्तुत है। बहस के अन्त में अपील अनुमति एवं अपील मे हुए विलम्ब को क्षमा कर अन्दर मियाद सुमार करने के साथ अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की।

तहसीलदार जोधपुर से जबाब पेश हुआ जिसमें अवगत करवाया कि पूनमचन्द कच्छवाह पुत्र दुर्गाराम निवासी मालियों का राजबाग के पीछे, भूंटिया, सूरसागर जोधपुर ने दिनांक 05.06.17 को प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया कि ग्राम बागां खसरा नम्बर 449 बनाप 15020 वर्गफीट भूमि तहसील कार्यालय से पूर्व में टीकमचन्द पुत्र जेठूरामजी को किराये पर दी गई थी तथा टीकमचन्द का स्वर्गवास होने के पश्चात् अन्य लोग गोविन्दसिंह कच्छवाह का कब्जा कर रखा है। उक्त शिकायत पर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया तथा सरोज पत्नी स्व.. टीकमचन्द माली को भी नोटिस जारी किया गया, जिसे आसामी ने तामील करने से मना किया तथा आसामी के आबाद मकान पर चस्पा किया गया। रिपोर्ट में यह भी बतलाया कि हलका पटवारी से रिपोर्ट लेने पर मौके पर गोविन्दलाल द्वारा पत्थर का व्यवसाय करना बताया तथा यह आखली 3600/–रूपये प्रतिमाह किराये पर लिया होना बताया। अपने जबाब में अपीलाधीन आदेश अवैध गैर कानूनी नहीं है, कानूनी और विधि अनुसार होना कहा।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ कार्यालय से प्राप्त मूल अभिलेख का भी अध्ययन किया। विवादित आखली पूर्व मे टीकमचन्द पुत्र जेठूजी के आवेदन पर ग्राम बागां ख.नं. 449 बनाप 80 x 200 फीट भूमि आखली के रूप में भाड़ा चिट्ठी पर देने का आदेश दिनांक 31.03.73 को दिया गया। तत्पश्वात् 60 x 200 वर्गफीट भूमि 36/–रूपये किराये पर देने का दुरस्ती आदेश दिया गया। अपीलाधीन आदेश जारी करने से पूर्व अपीलार्थीया को नोटिस जारी किया गया तथा लेने से मना करने पर आबाद मकान पर चस्पा

लगातार

करने की रिपोर्ट के साथ लौटा। तहसीलदार जोधपुर से यह भी पूछा गया क्या कि क्या राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत सरकारी भूमि को आखली के रूप में किराये पर देने के लिए तहसीलदार अधिकृत है या नहीं ? इस बाबत् तहसीलदार ने स्पष्ट जबाब नहीं दिया। मेरी विनम्र राय के अनुसार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रावधानों में 15000 वर्गफीट सरकारी भूमि मात्र 36/–रूपये प्रतिवर्ष किराये पर देने के लिए तहसीलदार के क्षेत्राधिकार में नहीं है। अतः जब तहसीलदार को आखली के रूप में सरकारी भूमि किराये पर देने का अधिकार ही नहीं है तो आखली निरस्त करने के आदेश के विरूद्ध अपील में कैसे चुनौति दी जा सकती है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। तहसीलदार जोधपुर को यह भी निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत सरकारी भूमि आखली के रूप में किराये पर देने के लिए तहसीलदार का क्षेत्राधिकार में आता है तथा समय समय पर किराया तय करने के नियम प्रचलित है एवं जोधपुर तहसील क्षेत्र मे ऐसे कितने मामले है जिन पर मामूली किराया राशि वसूल कर आखलियों के रूप में सरकारी भूमि किराये पर दी गई, इत्यादि की जांच कर जांच रिपोर्ट भी प्रेषित करें। आदेश सुनाया गया। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख तहसीलदार जोधपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।